

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013
क्रमांक प.1(ग)()का/एसएमई/डी एल बी/17/715 दिनांक 10/08/17

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम - 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिपिकवर्गीय, अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	सुश्री पूनम सारण	कनिष्ठ लिपिक	सरदारशहर	चूरु
2	श्री परसराम मेहरा	कनिष्ठ लिपिक	जालौर	सादडी (पाली)
3	श्री संजीव कुमार मीश्रा	कनिष्ठ लिपिक	हिण्डौन सिटी	धौलपुर
4	श्री निश्चल बैनर्जी	कनिष्ठ लिपिक	चाकसू (जयपुर)	फुलेरा (जयपुर)
5	श्री रमेश कुमार चौधरी	फायरमैन	जैसलमेर	बाडमेर
6	श्री रोजेन्द्र कुमार चौबेदार	फायरमैन	जोधपुर	सवाई माधोपुर
7	श्री हेमराज मीणा	फायरमैन	मकराना (नागौर)	भीलवाडा
8	श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता	फायरमैन	उदयपुर	बांरा
9	सुश्री गीता चौधरी	फायरमैन	वैर (भरतपुर)	भुसावर (भरतपुर)
10	श्री नरेश मीणा	फायरमैन	पाली	भरतपुर
11	श्री सरजू सिंह	फायरमैन	बांदीकुई (दौसा)	भरतपुर
12	श्री जितेन्द्र मीणा	फायरमैन	धौलपुर	अलवर
13	श्री देवी लाल मीणा	फायरमैन	सवाई माधोपुर	जयपुर
14	श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव	च.श्रे.कर्मचारी	सलूमबर	फतहनगर सनवाड
15	श्री ओम प्रकाश गुरु	च.श्रे.कर्मचारी	मूण्डवा (नागौर)	नागौर


नोट :-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यगृहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक प.1(ग)()का/एसएमई/डी एल बी/17/ 716-755 दिनांक 10/08/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अजमेर/
बीकानेर/भरतपुर।
04. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....
....।
05. श्री पद नगर
06. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उपनिदेशक (प्रशासन)